बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

दिनांक–03.04.2020

समय–06:00 बजे अप०

COVID-19 Virus के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:–

1. राज्य के शहरी इलाकों में निर्धन, निराश्रित आदि व्यक्तियों के लिये कुल 139 आपदा राहत केन्द्र संचालित किये गये, जिसमें आवासन के साथ–साथ भोजन की भी व्यवस्था की गयी है। उक्त आपदा राहत केन्द्रों में आज लगभग 13000 लोगों को भोजन कराया गया है। आपदा राहत केन्द्र में social distancing का विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया गया है।

2. Lockdown के कारण अन्य राज्यों से लौटे 27000 से अधिक बिहारी मजदूरों/अन्य व्यक्तियों को उनके गाँव के विद्यालय में संचालित **लगभग 3200 विद्यालय क्वॉरंटीन कैम्पों** में 14 दिनों तक के लिये क्वॉरंटीन में रखा गया है, **जहाँ राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवासन एवं भोजन की व्यवस्था की जा रही है।**

3. राज्य सरकार के द्वारा **देश की राजधानी दिल्ली में** बिहारी मजदूरों के लिये 10 आपदा राहत केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। उक्त राहत केन्द्रों में आज **6000 से अधिक व्यक्तियों** को निःशुल्क भोजन कराया गया।

4. 10 मार्च के पश्चात विदेश एवं अन्य राज्यों से यात्रा कर बिहार लौटे यात्रियों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है एवं quarantine के दृष्टिकोण से **गरूड़ ऐप** के द्वारा उनका लगातार tracking कराया जा रहा है।

5. राज्य में लागू lockdown के आलोक में कानून/सरकारी आदेश का उलंघन करने पर **अबतक कुल 690 FIR** दर्ज कराया गया है। साथ ही **अबतक कुल 14791 वाहनों** के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 179 के तहत कार्रवाई की गयी है।